इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 मार्च 2011—चैत्र 5, शक 1933

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक एफ–44/9/2011/बीस–2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्व्दारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

10. प्रवेश की विस्तारित कालावधि.

(1) किसी स्कूल में प्रवेश की विस्तारित अवधि शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तारीख से तीन मास की होगी.

(2) जहां किसी बालक को किसी स्कूल में विस्तारित की गई अवधि के पश्चात् प्रवेश दिया गया है, वहां वह विशेष प्रशिक्षण की सहायता से पूर्ण अध्ययन के लिए पात्र होगा/होगी जैसा कि स्कूल प्रमुख व्दारा अवधारित किया जाए।

11. स्कूल की मान्यता.

(1) केन्द्र सरकार,राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी व्दारा स्थापित ,उसके स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्कूल से भिन्न प्रत्येक स्कूल अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए हैं, नियमों के प्रकाशन के पश्चात् चार माह की कालावधि के भीतर इन नियमों से संलग्न प्ररूप–एक में एक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को करेगा जो धारा 18 के अधीन स्कूल की मान्यता का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पदाभिहित अधिकारी होगा। आवेदन में स्कूल के पड़ोस की सीमा के ब्यौरे होंगे जो धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपबंध के अधीन होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित आवेदन विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जाएगा जैसी कि आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र व्दारा अवधारित की जाए। स्कूल इस प्रयोजन के लिए संधारित वेवसाइट पर इलेक्ट्रानिक रूप में जानकारी प्रस्तुत करेगा ताकि स्कूल की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध हो।

(2) विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आवेदन प्ररूप में स्कूल व्दारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा तथा आवेदन प्ररूप मूलतः अपनी रिपोर्ट के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर विचारण के लिए भेजेगा।

(3) यदि स्कूल धारा 19 के अधीन विहित मानक तथा मापदण्डों को पूरा करने पर मान्यता चाहता है तो जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल का निरीक्षण कर सकेगा या सत्यापन हेतु निरीक्षण करवा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी तथा जांच करने वाला प्राधिकारी यदि वह जिला शिक्षा अधिकारी से भिन्न हैं तो उसे मान्यता प्रदान करने के लिए सुसंगत जानकारी चाहने की शक्ति होगी और मान्यता चाहने के लिए आवेदन प्ररूप में प्रस्तुत की गई जानकारी सत्यापित करने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा।

(4) (क) जिला शिक्षा अधिकारी की सन्तुष्टि पर, कि स्कूल धारा 19 के अधीन विहित सन्नियमों एवं मानकों की पूर्ति करता है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप–2 में मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रमाणपत्र तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगा तथा मान्यता के लिए आवेदन करने की तारीख से 45 दिन के भीतर जारी किया जाएगा। मान्यता प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:–

(एक)स्कूल धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों तथा मानकों को बनाए रखेगा;

(दो)स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा एक में न्यूनतम 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) प्रवेश देगा। उस दशा में, जब स्कूल सहायता प्राप्त स्कूल है, उसमें प्रवेशित बालकों के उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्ययों को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अध्यधीन होगा :

परंतु जहां स्कूल, पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा प्रदान करता है वहां धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) तक के उपबंध पूर्व स्कूल में प्रवेश हेतु लागू होंगे;

(तीन)स्कूल, भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता–भाग 4 (नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया पार्ट–4) के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्निशामक यंत्र एवं अन्य अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करेगा;

(चार)स्कूल, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी व्दारा प्राधिकृत किसी अधिकारी व्दारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा;

(पांच)स्कूल, ऐसी रिपोर्ट तथा जानकारी प्रस्तुत करेगा जो कि राज्य सरकार, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र और जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा, समय समय पर, अपेक्षित की जाए तथा राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए स्कूल के कार्यकरण में कमियों को दूर करने या मान्यता की शर्तों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाएं;

(छह)स्कूल प्रतिवर्ष बालकों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निदेशित करें। इस फीस की सूचना शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाएगी;